

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 3471

मंगलवार, 17 दिसंबर, 2024/26 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र में ऋण प्रवाह

3471. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सहकारी क्षेत्र में ऋण प्रवाह के लिए दीर्घकालिक ऋण संरचना किस प्रकार कार्य करती है;
- (ख) क्या कृषि बैंक सहकारी समितियों के रूप में कार्य करते हैं; और
- (ग) देश भर में उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कृषि बैंक कार्यरत हैं तथा उनकी देशव्यापी उपस्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) के माध्यम से दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (LTCCS) मुख्य रूप से दो संरचनात्मक रूपों अर्थात् परिसंघीय और एकात्मक के माध्यम से परिचालन में है।

परिसंघीय संरचना में आधार स्तर पर सहकारी समितियों को संगठित करने के सिद्धांत का अनुसरण किया गया है और तदनुसार प्राथमिक ऋण कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) को जिला, खंड अथवा तालुक स्तरों पर एकल सहकारी समितियों के रूप में संगठित किया गया है। ये सभी समितियां किसानों को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए शीर्ष समिति के रूप में राज्य ऋण, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCARDB) बनाने के लिए राज्य स्तर पर संघबद्ध होती हैं। इस संरचना के तहत, किसान या अंतिम उधारकर्ता PCARDB के सदस्य होते हैं और PCARDB से ऋण प्राप्त करते हैं। PCARDBs, SCARDB के सदस्य के रूप में, अपने ऋणों को SCARDB से पुनर्वित्त प्राप्त करते हैं। SCARDB अपनी पर्यवेक्षी इकाइयों के माध्यम से PCARDB पर नियंत्रण रखते हैं और कुछ राज्यों में PCARDB ने कुछ शाखाएं भी खोली हैं।

दूसरी ओर एकात्मक संरचना किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए पूरे राज्य में एक शाखा नेटवर्क के साथ राज्य स्तरीय ARDB के रूप में कार्य करती है। शाखाओं के कामकाज के पर्यवेक्षण के लिए, SCARDB ने उपयुक्त स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए हैं।

ये बैंक मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश के लिए भूमि की सुरक्षा पर 5 से 15 वर्ष की अवधि के दीर्घकालिक ऋण देते हैं। लघु सिंचाई, कृषि मशीनरी, वृक्षारोपण और बागवानी, ग्रामीण आवास, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र की गतिविधियाँ आदि मुख्य उद्देश्य हैं जिनके लिए ऋण दिए जाते हैं। इन संस्थानों के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है और ये फंडिंग सहायता के लिए मुख्य रूप से नाबार्ड और एनसीडीसी जैसे राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों पर निर्भर हैं।

(ख): SCARDBs और PCARDBs विभिन्न राज्यों में राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियाँ हैं, केवल बिहार और झारखंड के SCARDBs बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

(ग): वर्तमान में 16 SCARDBs में से जमीनी स्तर पर 1,868 PCARDBs/SCARDBs की शाखाओं के नेटवर्क के साथ 13 कार्यात्मक SCARDBs शामिल हैं। इन बैंकों में कुल 1,02,79,500 ग्रामीण परिवार हैं। जिन राज्यों में 13 SCARDBs काम कर रहे हैं, उनमें गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं।
